**13. मुख्तारनामा**

.................... रुपये का स्टाम्प इस विलेख द्वारा यह सर्वविदित हो कि श्री ... .................... ..................... पुत्र श्री .................... .................... .................... निवासी .................... .................... की राजस्व सम्पदा में स्थित.................... ....................बीघा .................. .................... विस्वा की मापमान की होने वाली संपूर्ण खसरा सं. .................... .................... में परिवेष्ठित की गयी मेरी कृषिक भूमि की बाबत मेरा सत्य एवम् विधिपूर्ण साधारण मुख्तारनामा के रूप में श्री .................. .................... पुत्र ................. .................... निवासी ....... .................... को एतद्वारा स्थापित करता है, नियुक्त करता है, प्राधिकृत करता है एवम् नाम निर्देशित करता है और मैं मेरे नाम से तथा मेरे निमित्त निम्नलिखित कार्यों, विलेखों एवम् बातों को करने के लिए उसको एतद्वारा सशक्त करता है।

1. सभी परिपेक्ष्य में कथित सम्पत्ति का प्रबन्ध करने एवम् नियंत्रित करने के लिए तथा इस निमित्त प्रत्येक सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष उसको व्यपदेशित करने के लिए।
2. कथित सम्पत्ति को किराये पर देने / पट्टे पर देने के लिए और किराया / पट्टा प्राप्त करने के लिए तथा उसकी रसीद जारी करने के लिए।
3. कथित सम्पत्ति का विक्रय करने के लिए, करार करने के लिए, एडवांसों को जारी करने के लिए: सक्षम प्राधिकारी या किसी अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञाये प्राप्त करने के लिए मेरी ओर से कोई भी शपथपत्र, कथन, आवेदनपत्र, या बन्धपत्र इत्यादि देने के लिए, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार या किसी अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष विक्रय विलेख का निष्पादन करने के लिए, उसको हस्ताक्षरित करने के लिए तथा उसको प्रस्तुत करने के लिए और मेरी ओर से उसको रजिस्ट्रीकृत करवाने के लिए, प्रतिफल रकम को प्राप्त करने के लिए, रसीदे जारी करने के लिए, दाखिल खारिज को प्रभावित करवाने के लिए।

निर्माण करने या परिवर्तन के लिए; भवन सामग्री की परमिट एवम कोटा प्राप्त करने के लिए भवन कर नियत करवाने के लिए; जलसीवर तथा विद्युत कनेक्शनों को स्थापित करवाने के लिए।

.............. के सभी कार्यालयों में हाजिर होने तथा कार्य करने के लिए।

अर्जन के मामले में, प्रतिकर प्राप्त करने के लिए; समझौता करने; शमन करने के लिए या मामलों को वापस करने के लिए; उन्हें माध्यस्थम को निर्देशित करने के लिए। मेरी ओर से किसी वकील, प्लीडर, एडवोकेट को नियुक्त करने तथा स्थापित करने के लिए आगे एटर्नी को नियुक्त करने के लिए।

**यह विलेख अविखण्डनीय है:**

मैं एतद्वारा यह अनुसमर्थन एवम् पुष्टि करने के लिए सहमत है कि मेरे कथित मुख्तारनामे द्वारा किये गये सभी कार्य विलेख एवम् बातें व्यक्तिगत रूप में मेरे द्वारा किये गये कार्यों विलेखों एवम बातों के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा मानों वह हाजिर हो। जिसके साक्ष्य में मैंने तारीख....................को .................... में इस अविखण्डनीय मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर किया है।

साक्षीगण निष्पादिती

1. ....................
2. ....................